उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या- 13/2017/सीपी 740/84-2-2016-सीपी 8/2012

लखनऊ : दिनांक : 10 मार्च, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

शासन की अधिसूचना संख्या-सीपी 107/84-2-2012-सीपी 5/2012, दिनांक 11 मार्च, 2012 द्वारा श्री अभय कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री केशव देव गुप्ता, 2720, नया बांस, वैरागपुरा, मथुरा की नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम, ललितपुर में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद पर की गयी थी, जिसके अनुपालन में श्री गुप्ता द्वारा उक्त पद पर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया था।

2. श्री अभय कुमार गुप्ता द्वारा निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 10.12.2016 के माध्यम से यह सूचित किया गया कि वे अपने निजी कारणों से जिला उपभोक्ता फोरम में काम करने की स्थिति में नहीं हैं। अत: वे स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे रहे हैं, जिसे उनके द्वारा दिनांक 12.12.2016 से स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 ने अपने पत्र दिनांक 7810/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0/20/13 टीसी, दिनांक 26.12.2016 द्वारा श्री अभय कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, ललितपुर का त्यागपत्र दिनांक 10.12.2016 से स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के अनुरोध के क्रम में जिला उपभोक्ता फोरम, ललितपुर के अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद से श्री अभय कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री केशव देव गुप्ता, 2720, नया बांस, वैरागपुरा, मथुरा द्वारा स्वेच्छा से दिये गये उक्त त्यागपत्र को श्री राज्यपाल जनहित में दिनांक 10.12.2016 से स्वीकार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कुमार अरविन्द सिंह देव
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 26.12.2016 के क्रम में।
(2) जिलाधिकारी, ललितपुर।
(3) कोषाधिकारी, ललितपुर।
(4) कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम, ललितपुर।
(5) श्री अभय कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री केशव देव गुप्ता, 2720, नया बांस, वैरागपुरा, मथुरा।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in